



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, गुरुवार, 21 अप्रैल 2022

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-04, अंक- 202

महत्वपूर्ण एवं खास

जम्मू-कश्मीर में रहस्यमयी विस्फोट में दम्पति घायल

जम्मू (आरएनएस)। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक संदेहात्मक विस्फोट में एक दंपति घायल हो गया। पुलिस ने कहा कि बीती देर रात कोटरका नाला में एक झुग्गी बस्ती के बाहर रहस्यमयी विस्फोट हो गया। पुलिस ने कहा, एक पति-पत्नी की जोड़ी को चोटें आईं दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि इलाके की तलाशी चल रही है और विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

रोहतास में सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत

रोहतास (आरएनएस)। बिहार में रोहतास जिले के तिलीथू थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि बाइक पर सवार तीन युवक बीती देर रात एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान डिहरी- तिलीथू राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनहनीया गांव के समीप अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीनों युवकों की मौत हो गयी। सूत्रों ने बताया कि मृतकों की पहचान सासाराम प्रखंड के गंसाडीह पंचायत निवासी बीडीसी बंसीधर सेठ के पुत्र राहुल सेठ (21), वीरेंद्र सेठ के 16 वर्षीय पुत्र सोनू सेठ और अर्पण सेठ के 12 वर्षीय पुत्र अंकुश सोनी के रूप में की गयी है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है।

आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत

लुधियाना (आरएनएस)। पंजाब के लुधियाना में बिहार के रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। यह परिवार लुधियाना में रहकर मजदूरी करता था। बुधवार की सुबह उनकी झोपड़ी में आग लग गई और इसके चलते सभी की जिंदा जलकर मौत हो गई। लुधियाना ईस्ट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुखदेव सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग प्रवासी मजदूर थे और सुबह जब अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, उसी वक्त आग लग गई। इसके चलते बच निकलने का मौका नहीं मिला और उनकी जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। डिब्बा पुलिस स्टेशन के एसएचओ रणबीर सिंह ने कहा कि मृतकों की पहचान पति-पत्नी और उनके 5 बच्चों के तौर पर हुई है। अभी उनके नाम पता नहीं चल सके हैं। इसके अलावा आग लगने की वजह भी अभी सामने नहीं आई है।

ओंकारेश्वर में 4 छात्राओं की नहर में डूबने से हुई मौत

खंडवा (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नहर में नहाने गईं चार छात्राओं की डूबने से मौत हो गई। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ओंकारेश्वर थाना क्षेत्र के कोठी में एक आश्रम है जिसमें रहकर बालिका अध्ययन का कार्य करती हैं। इन्होंने से 11 छात्राएं बुधवार की सुबह ओंकारेश्वर बांध की नहर में नहाने गई थीं। इसी दौरान दो छात्राएं गहरे पानी में चली गईं, उधर बचने के लिए दो छात्राएं आगे आईं और वह भी पानी में डूब गईं। चारों की मौत हो गई है। ओंकारेश्वर थाने से दी गई जानकारी में बताया गया है कि चारों छात्राओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे का शिकार नारी छात्राओं की आयु 11 से 12 वर्ष के बीच है। ये बड़वानी और खरणोनी की रहने वाली हैं।

ट्रक ने बाइक को ठोकर मारी, तीन लोगों की मौत

सासाराम (आरएनएस)। बिहार के तिलीथू थाना क्षेत्र में एक ट्रक के बाइक में टक्कर मार देने की घटना में बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, अकोठी गोला प्रखंड के जयपुर गांव के रहने वाले तीन युवक बीती रात बिहटा में एक शादी समारोह में भाग लेकर एक बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे कि मनहनीया गांव के पास ट्रक ने बाइक को ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक पर सवार तीनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, तीनों मृतक अकोठी गोला प्रखंड अंतर्गत मुफसिल थाना क्षेत्र के जयपुर गांव के रहने वाले हैं जिनका नाम राहुल कुमार, सोनू कुमार सोनी तथा अंकुश सोनी है। घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया, बाद में अधिकारियों के समझाने पर लोग शांत हुए। सभी शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है तथा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।

केन्द्र सरकार ने आम जनता के हितों की रक्षा के लिए निधि नियम 2014 में संशोधन किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। कम्पनी कानून, 1956 के तहत, एक निधि या म्यूचुअल बनेफिट सोसाइटी का अर्थ एक ऐसी कम्पनी है जिसे केन्द्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निधि या म्यूचुअल बनेफिट सोसाइटी के रूप में घोषित किया है। कम्पनी कानून, 2013 के तहत, शुरू में किसी कम्पनी को निधि कम्पनी के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार से घोषणा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी कम्पनियों को केवल निधि के रूप में शामिल करना आवश्यक होता था और निधि नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत आवश्यकताएं पूरी करनी होती थीं, जैसे कि 200 की न्यूनतम सदस्यता, 10 लाख रुपये की शुद्ध स्वामित्व वाली निधि (एनओएफ), एनओएफ को 1:20 के अनुपात में जमा



करना होता था और निधि नियम, 2014 के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर 10 प्रतिशत भार मुक्त जमा राशि नियत वाणिज्यिक बैंकों या डाकघरों में जमा करनी होती थी। कम्पनी कानून, 2013 के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए मंत्रालय में एक समिति गठित की गई थी और अन्य बातों के साथ, यह संशोधन किया गया, ताकि केन्द्र सरकार द्वारा निधि के रूप में घोषणा की के लिए आवश्यक कम्पनी कानून, 1956 के तहत पूर्व में किए गए प्रावधान उपयुक्त हैं क्योंकि वे ऐसी संस्थाओं के नियमन के लिए एक केन्द्रीकृत और अधिक प्रतिबंधात्मक ढांचा प्रदान करते हैं और तदनुसार कम्पनी कानून, 2013 की धारा 406 में 15.08.2019 से संशोधन किया गया, ताकि केन्द्र सरकार द्वारा निधि के रूप में घोषणा की आवश्यकता को वापस लाया जा सके। कम्पनी कानून, 2013 में 15.08.2019 के संशोधन और निधि नियमों, 2014 में परिणामस्वरूप

15.08.2019 से हुए संशोधन के बाद निधियों के रूप में शामिल की गई कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे शामिल होने के 14 महीनों के भीतर घोषणा के लिए फॉर्म एनडीएच-4 में केन्द्र सरकार को आवेदन करें, यदि उन्हें निधि (संशोधन) नियमों के 15.08.2019 से प्रभावी होने के बाद और निधि (संशोधन) नियमों के लागू होने के 09 महीने के भीतर, 2014 के बाद लेकिन 15.08.2019 से पहले निधि के रूप में शामिल किया जाता है। कम्पनी कानून, 1956 के तहत लगभग 390 कम्पनियों को केवल निधि कम्पनी घोषित किया गया था। 2014-2019 के दौरान, दस हजार से अधिक

कम्पनियों को शामिल किया गया। हालांकि, घोषणा के लिए केवल 2,300 कम्पनियों ने एनडीएच-4 फॉर्म में आवेदन किया। फॉर्म एनडीएच-4 की जांच से पता चला है कि कम्पनियों कानून और निधि नियम, 2014 (संशोधित) के लागू प्रावधानों का पालन नहीं कर रही हैं। आम जनता के हितों की रक्षा के लिए, यह अनिवार्य हो गया है कि इसका सदस्य बनने से पहले, किसी की केन्द्र सरकार द्वारा एक कम्पनी को निधि के रूप में घोषित करना सुनिश्चित करना चाहिए और इसके लिए नियमों में कुछ आवश्यक/महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं जो निधि (संशोधन) नियम, 2022 के बाद शामिल की जाने वाली कम्पनियों पर निम्नानुसार लागू है: 10 लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ निधि के रूप में शामिल एक सार्वजनिक कंपनी को खुद को निधि के रूप में घोषित करने के लिए शामिल होने के 120 दिनों के भीतर 20 लाख रुपये का एनओएफ के साथ सबसे पहले 200 की न्यूनतम सदस्यता के साथ फॉर्म एनडीएच-4 में आवेदन करना होगा। कम्पनी के प्रमोटरों और निदेशकों को नियमों में निर्धारित फिट और उचित व्यक्ति के मानदंडों को पूरा करना होगा। समय पर निपटान के लिए, संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि केन्द्र सरकार एनडीएच-4 के रूप में कम्पनियों द्वारा दायर आवेदनों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लेती है, तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा। यह ऐसी कम्पनियों के लिए लागू होगा जिन्हें निधि (संशोधन) कानून, 2022 के बाद शामिल किया जाएगा।

13 साल की बच्ची से दरिंदगी की हदें पार, 80 लोगों ने किया रेप

हैदराबाद (आरएनएस)। आंध्र प्रदेश से ऐसी भयावह घटना सामने आई है जिसने सबके होशफाखता कर दिए। मामला गुंटूर का है जहां 13 साल की बच्ची के साथ 80 लोगों ने दुष्कर्म किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरिंदों ने अलग-अलग स्थान पर 8 माह में इस बच्ची से रेप किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों में एक बोटक का छात्र भी है। उसने भी अपनी उच्च शिक्षा का परिचय इस घृणित कार्य में दिया। बच्ची ने पुलिस को अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी दास्तां सुनाई। यह सुनकर पुलिसकर्मी भी दहशत में आ गए।



असल में पीड़िता को देह व्यापार में धकेला गया था आंध्र प्रदेश में इस 13 वर्षीय लड़की, जिसे आठ महीने से अधिक समय तक वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, को पुलिस ने मंगलवार, 19 अप्रैल को गुंटूर में बचाया था। एक जांच से पता चला कि आठ के दौरान 80 से अधिक पुरुषों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। पुलिस ने बताया कि 19 अप्रैल को बी.टेक के एक छात्र सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अपराध में शामिल 80 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है जो फरार हैं।

नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने किया मालदीव का दौरा

नई दिल्ली (आरएनएस)। एडमिरल आर. हरि कुमार ने नौसेना प्रमुख (सीएनएस) का पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में 18 से 20 अप्रैल, 2022 तक मालदीव का दौरा किया। उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान मालदीव के माननीय राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, माननीय विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, माननीय रक्षा मंत्री श्रीमती मारिया अहमद वीदी और रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल से मुलाकात की।



एडमिरल आर. हरि कुमार ने 18 अप्रैल, 2022 को भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस सतलुज पर मालदीव के रक्षा मंत्री और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों (एमएनडीएफ) के नेतृत्व के सम्मान में एक स्वागत समारोह की भेजना भी की। वर्तमान में आईएनएस सतलुज हाइड्रोग्राफिक (जल सर्वेक्षण से संबंधित) सहयोग पर समझौता

भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे एमएनडीएफ पोतों के संबर्द्धन के लिए इंजीनियरिंग उपकरणों की एक खेप भेंट की। यह एमएनडीएफ के क्षमता निर्माण प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। दोनों देशों ने कोविड महामारी की अवधि के दौरान संसाधन जुटाने और कर्मियों की आवाजाही की दिशा में मिशन सागर और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत काफी एकजुटता से काम किया है। महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री नवंबर, 2021 में आयोजित भारतीय नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा मालदीव तटरक्षक बल के कमांडेंट कर्नल इब्राहिम हिलमी ने भारत की

ओर से फरवरी, 2022 में विशाखापत्तनम में आयोजित मिलन-2022 में मालदीव प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। भारत और मालदीव हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर एकसमान दृष्टिकोण साझा करते हैं और हिंद महासागर नौसेना परिसंवाद व कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जैसे कई द्विपक्षीय, लघु-पार्थ (लेटरल) और बहुपक्षीय मंचों पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नौसेना प्रमुख की मालदीव यात्रा भारत के माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पित 'पांच एस' यानी सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि की सोच द्वारा निर्देशित रहा है। उनकी इस यात्रा ने दो नजदीकी समुद्री पड़ोसियों के बीच मजबूत व दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत किया। इसके अलावा रक्षा और समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के दायरे के विस्तार को लेकर नए रास्तों को भी चिह्नित किया गया।

रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान घरेलू खरीद पर पूंजी अधिग्रहण बजट के 65.50 प्रतिशत हिस्से का उपयोग किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 64 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया था। वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में, रक्षा मंत्रालय अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दूरदर्शी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योगों के माध्यम से स्वदेशी खरीद पर पूंजी अधिग्रहण बजट के 65.50 प्रतिशत हिस्से का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, मार्च 2022 की प्रारंभिक वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा सेवा बजट के 99.50 प्रतिशत भाग का उपयोग करने में सक्षम है।



का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, मार्च 2022 की प्रारंभिक वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा सेवा बजट के 99.50 प्रतिशत भाग का उपयोग करने में सक्षम है।

भारत का गैर-बासमती चावल निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 109 प्रतिशत बढ़ कर 6115 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत का गैर-बासमती चावल निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 के 2925 मिलियन डॉलर की तुलना में आश्चर्यजनक तरीके से 109 प्रतिशत बढ़ कर वित्त वर्ष 2021-22 में 6115 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है।



डीजीसीआईएस आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 में 2015 मिलियन डॉलर के बराबर के गैर बासमती चावल का निर्यात किया था जो बढ़ कर वित्त वर्ष 2020-21 में 4799 मिलियन डॉलर तथा वित्त वर्ष 2021-22 में 6115 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। गैर बासमती चावल का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 27 प्रतिशत की वृद्धि तथा 6115 मिलियन डॉलर अर्जित करने के साथ सभी कृषि वस्तुओं के बीच सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला क्षेत्र रहा। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडी) के अध्यक्ष डॉ. एम अंगमुथु ने कहा, "विदेशी मिशनों के सहयोग के साथ हमारे पास लॉजिस्टिक्स का समन्वित विकास है तथा गुणवत्ता उपज के उत्पादन पर फोकस है, जिसने भारत की चावल निर्यात संभावनाओं को बढ़ावा दिया है।" पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन भारत से गैर बासमती चावल के प्रमुख आयातक देशों में से एक है। अन्य गंतव्य देश हैं: नेपाल, बांग्लादेश, चीन,

कोट डी आवोआयर, टोगो, सेनेगल, गिनी, वियतनाम, जिबोटी, मेडागास्कर, कैमरून, सोमालिया, मलेशिया, लाइबेरिया, संयुक्त अरब अमीरात आदि। वित्त वर्ष 2020-21 में, भारत ने नौ देशों- तिमोर-लेस्ते, प्युओर्टो रिको, ब्राजील, पुपुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, एक्वाटोरियल गिनी तथा निकारगुआ को गैर बासमती चावल का निर्यात किया जहां पहली बार निर्यात किया गया था या इससे पहले जो निर्यात किया गया था, वे कम मात्रा में निर्यात किए गए थे। पिछले दो वर्षों में भारत का जोर बंदरगाह संचालन करने वाले बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने तथा

चावल निर्यात के लिए देशों या बाजारों में नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रयासों के साथ-साथ प्रमुख हितधारकों को शामिल करने वाली मूल्य श्रृंखला के विकास पर रहा है जिसके कारण चावल के निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों के बावजूद, भारत अफ्रीकी, एशियाई तथा यूरोपीय संघ के बाजारों में अपने चावल निर्यात की उपस्थिति लगातार बढ़ता रहा है और इस प्रकार वैश्विक चावल व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त कर चुका है। मजबूत वैश्विक मांग से भी चावल निर्यात में भारत की वृद्धि को सहायता मिली है।